न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।

विविध वाद सं0ः–04 / 2018–19

श्री रामकृष्ण दास वगै0

बनाम्

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	मंतव्य
7.1.19		

आदेश

अंचलाधिकारी, गोड्डा सदर के पत्रांक–2487 / रा0, दिनांक–15.12.2018 के द्वारा विविध वाद संख्या–11 / 2018–19 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत अभिलेख मौजा–कौड़ीबहियार, थाना नं0– 509 / 510 गैरमजरूआ खाता सं0–96 अन्तर्गत दाग नं0– 1038 का खतियान में रकवा–04–17–16 धुर अन्तर्गत 0–10–00 धुर किस्म– नाला की बन्दोवस्ती रामकृष्ण दास वो मुकेश दास वो सुभाष दास के पिता– स्व0 सकल दास को अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के बन्दोवस्ती वाद सं0– 48 / 1971–72 के द्वारा बन्दोवस्त प्रतिवेदित है। बन्दोवस्त भूमि किस्म–नाला है जिसका स्वरूप आम श्रेणी का है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा बन्दोवस्तधारी को नोटिश कर कारण–पृच्छा प्राप्त किया गया है। बन्दोवस्त भूमि किस्म–नाला है जिसका स्वरूप आम श्रेणी का है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–6144 दिनांक–21.12.2017 के कंडिका– 5 (ii) अन्तर्गत बन्दोवस्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की गैरमजरूआ भूमि है। सुनवाई के उपरान्त उक्त बन्दोवस्ती को नियम संगत नहीं मानते हुए अंचल अधिकरी, गोड्डा सदर द्वारा बन्दोवस्ती को रद्द करने की अनुशंसा किया गया है।

संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 27 एवं 36 अन्तर्गत गैरमजरूआ नाला भूमि की बन्दोवस्ती नहीं किया जाना चाहिए।

उपरोक्त गैरमजरूआ खास भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 27 एवं 36 के विरूद्ध है एवं संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 42 अन्तर्गत कार्रवाई योग्य है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2248 दिनांक–28.07.1989 के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा– 57 को छोड़कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को उपायुक्त की शक्ति प्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थिति में वर्णित बन्दोवस्ती/भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–27 एवं 36 का उल्लंघन है एवं संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 42 अन्तर्गत कार्रवाई योग्य है क्योंकि गैरमजरूआ किस्म–नदी का हस्तान्तरण/बन्दोवस्ती हुआ है।

उपरोक्त वर्णित भूमि मौजा–कौड़ीबहियार, थाना नं0– 509/510 गैरमजरूआ खाता सं0–96 अन्तर्गत दाग नं0– 1038 का खतियान में रकवा–04–17–16 धुर अन्तर्गत 00–10–00 धुर किस्म– नाला भूमि के किसी भी हस्तान्तरण/बन्दोवस्ती को उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द किया जाता है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर तदनुसार जमाबंदी समाप्त करना सुनिश्चित करेगें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।